

यदि आप्रवासन अधिकारी आपके दरवाज़े पर दस्तख दें, आपके अधिकार यह हैं:

१. दरवाज़ा बंद रखें, क्योंकि USA का क़ानून है कि कोई अधिकारी बिना वारंट आपके घर में नहीं आ सकता। यदि अधिकारी वारंट के साथ आयें, उनसे कहें वारंट दरवाज़े के नीचे से आपको दें। हर वारंट पर जज के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।

२. आप्रवासन अधिकारी से कुछ ना कहें। ख़ामोश और शांत रहें। अधिकारी से कहें की आपको यह अधिकार है कि आप चुप रह सकते हैं।

३. बिना अपने वकील से बात करे, किसी पत्र या दस्तावेज़ो पर हस्ताक्षर ना करें।

Advancingjustice-atlanta.org

Legal Hotline #: 404-890-5655

Asian Americans Advancing Justice - Atlanta